-1-

190

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर कैंप जबलपुर

नि-3415-तीन-16

पुनरीक्षण कमांक /2016 जिला जबलपुर

मनोज कुमार बरकड़े पिता सुखलाल बरकड़े
निवासी ग्राम चंदेरी तहसील बरगी,
जिला जबलपुर म0प्र0 ----- आवेदक

विरूद्ध

1— श्री चन्द्रेश कुरील पिता स्व. श्री बाबूलाल कुरील
निवासी मं.नं. 542, गली नं. 11, सदर बाजार,
जबलपुर

2— म0प्र0 शासन
द्वारा कलेक्टर, जबलपुर ----- अनावेदकगण

न्यायालय कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 14/अ–21/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 5-9-16 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 तहत निगरानी

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि –

1—. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है ।

2— यहकि, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम चंदेरी में विभिन्न खसरानंबरों की 4.430 हैक्टर एवं ग्राम घाट पिपरिया में 0.390 हैक्टर भूमि कुल 4.820 हैक्टर भूमि है । उक्त भूमि के अतिरिक्त आवेदक के स्वामित्व की ग्राम चंदेरी प.ह.नं. 39 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 43, 44, 46 एवं 47/2 रकबा 0.680, 0.930 0.650 एवं 0.070 हैक्टर कुल 2.330 हैक्टर भूमि है । आवेदन में उसने उल्लेख किया कि आवेदक को बैंक का कर्ज चुकाने, दूसरी जमीन की तरक्की एवं रहवास के लिए पक्का मकान बनाने के लिए रूपयों की आवश्यकता है इस कारण वह ग्राम चंदेरी प.ह.नं. 39 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 43, 44, 46 एवं 47/2 रकबा 0.680, 0.930, 0.650 एवं 0.070 हैक्टर कुल 2.330 हैक्टर भूमि को विकय करना चाहता है अतः उसे उक्त भूमि को गैर आदिम जनजाति के सदस्य अनावेदक कमांक 1 को विकय की अनुमति दी जाये ।

A. K. Mishra Adv.
Anil K. Mishra

श्री आलोक कुमार मिश्रा अधिवक्ता, जबलपुर द्वारा प्रस्तुत
मध्यप्रदेश पत्र प्राप्त
29-9-16

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 3415–एक/16 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19–1–17	यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 14/अ–21/15–16 में पारित आदेश दिनांक 5–9–16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि यह प्रकरण आवेदक मनोज बरकड़े द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विकय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदक द्वारा कलेक्टर, जबलपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम चंदेरी प.ह.नं. 39 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 43, 44, 46 एवं 47/2 रकबा कमशः 0.680, 0.930, 0.650 एवं 0.070 हैक्टर को गैर आदिम जनजाति सदस्य अनावेदक श्री चन्द्रशेखर कुरील पिता स्व. बाबूलाल कुरील को विकय करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, जबलपुर को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार को जांच हेतु भेजा गया, जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भूमि विकय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को भेजा गया है । कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा 6 बिंदुओं पर पुनः जांच कर स्पष्ट अभिमत के लिए प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को भेजा गया है । कलेक्टर के आदेश के	

R. 3415: 5/16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
	संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में जिन बिंदुओं पर पुनः जांच चाही गई है वह प्रकरण को विलंवित करने के उद्धेश्य को दर्शाता है क्योंकि प्रकरण में पूर्व में ही सभी बिंदुओं पर जांच कर तहसीलदार ने अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रेषित किया है । प्रश्नाधीन भूमि शासकीय नहीं है, बल्कि आवेदक की निजी भूमि है जिसे विकय करने का आवेदक को पूर्ण अधिकार है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा उक्त आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करने तथा आवेदित भूमि के विकय की अनुमति का अनुरोध किया गया है उनके द्वारा यह भी कहा गया कि आवेदक अधिवक्ता द्वारा आवेदित भूमि को विकय करने का अनुबंध चन्द्रशेखर कुरील से किया गया था किंतु अब वे भूमि कय करने में असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं, इस कारण आवेदक अब उनके स्थान पर श्री नमित श्रेंगी पिता स्व. श्री पी.एल. श्रेंगी तथा श्रीमती निताशा श्रेंगी पति नमित श्रेंगी निवासीगण फ्लेट नं. 262, 5वां तल सावित्री टावर्स, व्ही. आई.पी. रोड जीरकपुर पंजाब हाल मुकाम जयप्रकाश नगर आधारताल जबलपुर को भूमि विकय करना चाहते हैं । इस संबंध में उनका प्रस्तावित केताओं से अनुबंध भी हो गया है । अतः चन्द्रशेखर कुरील के स्थान पर उपरोक्त व्यक्तियों को भूमि विकय की अनुमति दी जाये । इस संबंध में उनके द्वारा आवेदक, पूर्व केता तथा प्रस्तावित केताओं के शपथपत्र प्रस्तुत किए गए हैं । अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की कार्यवाही को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – 3415–एक/16 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अनुरोध किया गया है । 3/ आवेदक एवं अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । प्रकरण के अवलोकन से पाया जाता है कि जिन बिंदुओं पर जिलाध्यक्ष ने अनुविभागीय अधिकारी को पुनर्विचार के जो निर्देश दिए हैं, उनके संबंध में तहसीलदार ने जांच उपरांत जो प्रतिवेदन पेश किया गया है, उसमें जांच उपरांत यह स्पष्ट प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदित भूमि आवेदक द्वारा कय की गई है, शासकीय नहीं है । इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया है कि भूमि विकय करने से आवेदक पर विपरीत असर नहीं पड़ेगा । प्रस्तावित विकय में आवेदक पर कोई दबाव/प्रलोभन नहीं है । विकय के उपरांत आवेदक के पास 4.820 हैक्टर भूमि शेष बचेगी । चूंकि आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विकय की अनुमति मांगी गई है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि केता द्वारा उसे वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन से अधिक मूल्य दिया जा रहा है ऐसी स्थिति में आवेदक को भूमि को विकय करने की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन नहीं है । कलेक्टर के आदेश से स्पष्ट होता है	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

कि उन्होंने उक्त तथ्य को अनदेखा किया गया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए प्रकरण में पुनः प्रतिवेदन मंगाए जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात कलेक्टर द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 5–9–16 निरस्त किया जाता है तथा कलेक्टर के समक्ष प्रचलित कार्यवाही समाप्त करते हुए आवेदक को उसके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम चंदेरी प.ह.नं. 39 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 43, 44, 46 एवं 47/2 रकबा कमशः 0.680, 0.930, 0.650 एवं 0.070 हैक्टर को गैर आदिम जनजाति सदस्य नमित श्रेंगी पिता स्व. श्री पी.एल. श्रेंगी तथा श्रीमती निताशा श्रेंगी पति नमित श्रेंगी को विकय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :–

1– यदि प्रस्तावित केता वर्तमान वर्ष 2016–17 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो ।

2– केतागण द्वारा विकय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी ।

निगरानी तदनुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर